न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—500 / 2012 / 223 (2012 / 00108)

1. फातिमा बेवा सवाई खां, जाति मुसलमान, नि0 नानण, तह0 मौजमाबाद, जिला जयपुर । (फौत) नाम तर्क
2. दीन खां पुत्र सवाई खां,
3. नजीर खां पुत्र सवाई खां,
4. हुसेन खां पुत्र सवाई खा,
5. ईमामुद्दीन पुत्र बाबू खां,
6. गलखू पत्नी बाबू खां,
7. खाजू पुत्र सवाई खां,
8. शकूरी पत्नी सुलेमान,
9. छीतर पुत्र भूरे खां, नाम तर्क
10. गुलाब पत्नी नजीर खां,
    समस्त जाति मुसलमान, नि0 नानण, तह0 मौजमाबाद, जिला जयपुर ।
11. नियामत पत्नी गफूर खां पुत्री भूरे खां, जाति मुसलमान, नि0 लदेरा, तह0 मौजमाबाद जिला जयपुर ।
12. घीसी पत्नी टील्लू खां, पुत्री भूरे खां, जाति मुसलमान, नि0 मौजमाबाद, जिला जयपुर ।
13. मोला बक्स पत्नी आमीन खुं पुत्री भूरे खां, जाति मुसलमान, निवासी मौजमाबाद, जिला जयपुर ।
14. गफूर खां पुत्र बोदू खां,
15. शकूर खां पुत्र बोदू खां,
16. ईदू खां पुत्र बोदू खां,
    समस्त जाति मुसलमान, नि0 नानण, तह0 मौजमाबाद, जिला जयपुर ।
17. फरजन पत्नी छोटू खां, पुत्री बोदू खां, जाति मुसलमान, नि0 उदयपुरिया, तह0 मौजमाबाद, जिला जयपुर ।
18. नसीर पत्नी सवाई खां पुत्री बोदू खां, जाति मुसलमान, नि0 उदयपुरिया, तह0 मौजमाबाद, जिला जयपुर ।
19. बफाती बेवा ईब्राहीम खां, जाति मुसलमान,
20. हकीम उर्फ पप्पू पुत्र इब्राहीम,
    दोनों जाति मुसलमान, नि0 नानण, तह0 मौजमाबाद, जिला जयपुर ।
21. रफीक उर्फ कमल पुत्र इब्राहीम नाबालिग जरिये वली माता बफाती, जाति मुसलमान, नि0 नानण, तह0 मौजमाबाद, जिला जयपुर ।
22. भूरी पुत्री इब्राहीम पत्नी आमीन,
23. रहिसा पुत्री इब्राहीम पत्नी रफीक,
24. बानो पुत्री ईब्राहीम पत्नी हनीफ,
    जाति मुसलमान, नि0 नरैना, तह0 फुलेरा, जिला जयपुर ।
25. नजमा पुत्री इब्राहीम,
26. साबुदीन पुत्र रहिम खां,
27. गुलाब पत्नी रहिम खां,
28. गफुर पुत्र मांगू खां,
29. शब्बीर पुत्र मांगू खां,
30. चन्दा पत्नी सुलेमान खां,
31. हुसैन पुत्र सुलेमान खां,
32. मजीद पुत्र सुलेमान खां,
33. कालू पुत्र सुलेमान खां,

34. पप्पू पुत्र सुलेमान खां,
35. रसीद पुत्र सुलेमान खां,
36. बिला पुत्री सुलेमान, नाबालिग जरिये वली माता चन्दा,
37. राबिया पुत्री सुलेमान नाबालिग जरिये वली माता चन्दा,
38. सुल्तान पुत्र नसीर खां,
39. शकूर पुत्र नसीर खां,
40. शकूरी पत्नी रसूल खां,
    समस्त जाति मुसलमान, नि0 नानण, तह0 मौजमाबाद, जिला जयपुर ।

अपीलांटस

बनाम

1. रहमान पुत्र पीर खां,
2. हुसैन खां पुत्र पीर खां,
3. सुबरात पुत्र पीर खां,
4. नूर मौहम्मद पुत्र पीर खां,
5. खातून पुत्री पीर खां पत्नि हंसार खां,
   जाति मुसलमान, नि0 नानण, तह0 मौजमाबाद, जिला जयपुर ।
6. ईद्धा पुत्री पीर खां पत्नि लाल खां, जाति मुसलमान, नि0 बिंजोलाव,
   तह0 मौजमाबाद, जिला जयपुर ।
7. भूरी पत्नी खॉजू खां पुत्री पीर खां, जाति मुसलमान, नि0ढाणी, गोपालपुरा
   तह0 मौजमाबाद, जिला जयपुर ।
8. लाली पत्नि पीर खां पुत्री पीर खां, जाति मुसलमान, नि0 बिंजोलाव, तह0
   मौजमाबाद, जिला जयपुर ।

रेस्पोडेंटस

9. शकीला पत्नी भूरे खां, जाति मुसलमान, निवासी नानण, तह0 मौजमाबाद
   जिला जयपुर । (नाम तर्क)
10. अजीम खां पुत्र रहिम खां,
11. रमजान खां पुत्र मांगू खां,
12. उस्मान खां पुत्र मांगू खां,
13. रज्जाक पुत्र मांगू खां,
14. बाबू खां पुत्र नसीर खां,
15. जुम्मा पुत्र नसीर खां,
16. मान्या पुत्र रमजू खां,
17. सुबराती पुत्र रमजू खां,
18. बानो पत्नी बेगम रज्जाक मौहम्मद,
    समस्त जाति मुसलमान, नि0 नानण, तह0 मौजमाबाद, जिला जयपुर ।
19. तहसीलदार, मौजमाबाद, जिला जयपुर ।
20. यूको बैंक, प्रबंधक शाखा, दूदू, जिला जयपुर ।

प्रफोर्मा रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, दूदू दिनांक 11.6.2012 अंतर्गत वाद संख्या 319/2007.

उपस्थितः—

1. श्री पन्नालाल चौधरी, वकील अपीलांट।
2. श्री आर0एस0खंगारोत, वकील रेस्पो0 संख्या 1 से 8.
3. श्री ताज मौहम्मद, वकील प्रफोर्मा रेस्पो0 संख्या 11, 12, 13 व 18.
4. श्री लोकेन्द्रसिंह, वकील प्रफोर्मा रेस्पो0 संख्या 17.
5. प्रफोर्मा रेस्पो0 संख्या 10, 14 से 16 अनुपस्थित ।
6. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार रेस्पो0 संख्या 19.

निर्णय

दिनांकः— 26.9.2019

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, दूदू के निर्णय व डिक्री दिनांक 11.6.2012 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 8/वादीगण ने अधी0न्याया0 में एक वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत् ईस्तकरार हक, तकासमा व स्थायी निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण व प्रतिवादीगण एक ही संयुक्त परिवार के सदस्य रहे है एवं आराजियात खसरा नंबर परिशिष्ट अ में अंकित है जो वाके ग्राम नानण, तह0 मौजमाबाद जिला जयपुर में स्थित है जिसके वादीगण व प्रतिवादीगण खातेदार काश्तकार है । वादीगण ने वजरा खानदान प्रस्तुत करते हुए बताया कि वादीगण व प्रतिवादीगण बुजुर्गो के समय से ही 1/3, 1/3 हिस्सेनुसार काबिज काश्त चले आ रहे है जिसमें 1/3 हिस्सा पीर खां पुत्र रसूल खां का, 1/3 हिस्सा मिश्री खां पुत्र अलाबक्श व रमजू खां पुत्र दल्ला खां का, 1/3 हिस्सा फकीरा पुत्र मीर खां का है। इसी अनुसार पर्चा जारी होना चाहिये था किन्तु पर्चा फकीरा वल्द मीर खां के 5/14 हिस्से का, मिश्री वल्द अल्ला बक्श खां व रमजू खां वल्द दल्ला खां के 6/14 हिस्से का तथा पीर खां वल्दू रसूल का 3/14 का जारी कर दिया गया जो गलत था । वादीगण जो कि पीरखां के वारिसान है जो 1/3 हिस्से की घोषणा करवाने के अधिकारी है एवं इसी अनुसार बंटवारा करवाने के अधिकारी है । अधी0न्याया0 ने प्रकरण दर्ज कर तलबी प्रतिवादीगण की जारी की गई । प्रतिवादीगण ने अधी0न्याया0 में उपस्थित होकर जवाब पेश किया । अधी0न्याया0 ने उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनकर दिनांक 24.12.2002 को वाद डिक्री कर दिया । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री दिनांक 24.12. 2002 के विरूद्ध हाजा न्यायालय के समक्ष अपील पेश की गई जोन हाजा न्यायालय के निर्णय से प्रतिवादीगण/अपीलांट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्त की जाकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किया गया । प्रकरण रिमाण्ड से प्राप्त होने पर अधी0न्याया0 ने निर्णय व डिक्री दिनांक 11.6.2012 द्वारा वादीगण/रेस्पो0 संख्या 1 से 8 का वाद डिक्री कर दिया । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।
3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पोडेंटस उपस्थित । अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।
4. विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय न्याय, नियम एवं विधि के विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 को

हाजा न्यायालय ने प्रकरण इन निर्देशों के साथ रिमाण्ड किया था कि सभी काश्तकारों को पक्षकार कायम किया जाकर साक्ष्य, सुनवाई का अवसर प्रदान कर विधिसम्मत् निर्णय पारित करे । वादी द्वारा प्रस्तुत सजरे व मुकदमें के उनवान व प्रस्तुत शुदा पंजीकृत विक्रय पत्रों को देखने से ही स्पष्ट है कि हाजा न्यायालय के निर्देशों की पालना अधी0न्याया0 द्वारा नहीं की गई है । ऐसी स्थिति में अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री निरस्त किये जाने योग्य है । अधी0न्याया0 का निर्णय आदेश 20 नियम 5 जा0दी0 के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अधी0न्याया0 ने तनकी संख्या 1 व 2 के निर्णय में इस संबंध में कोई विवेचन नहीं किया कि जो आराजियात बैचान की जा चुकी है उसकी खातेदारी की क्या स्थिति रहेगी । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 ने तनकी संख्या 1 को निर्णित करते समय संवत् 1988 की स्थिति को आधार माना है जबकि विधिनुसार जब काश्तकारी अधि0 प्रभाव में आया तो अधी0न्याया0 को अपना निर्णय दिनांक 15.10.1955 की स्थिति को देखते हुए उसी अनुरूप निर्णय करना चाहिये था । अधी0न्याया0 ने तनकी संख्या 1 के संबंध में कोई स्पष्ट विवेचन नहीं किया है कि किस पक्षकार को कितने हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया गया है । अधी0न्याया0 ने तनकी संख्या 2 का निस्तारण नहीं किया है जिससे भी अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री अपूर्ण होने से निरस्तनीय है । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में आगे कथन किया कि अधी0न्याया0 ने तनकी संख्या 3 का निर्णय पूर्णतः विधि विरूद्ध तरीके से किया है जिसमें वादी को विशिष्ट भू–भाग का कब्जाधारी माना है जबकि विधिनुसार सहखातेदारों में किसी भी व्यक्ति का विशिष्ट भू–भाग पर कब्जा नहीं माना जा सकता है । आराजियात के प्रत्येक भू–भाग पर प्रत्येक सहखातेदार का कब्जा माना जायेगा । अधी0न्याया0 ने बंटवारे के अनुतोष हेतु बिना प्राथमिक डिक्री के बंटवारा नियम 18 से 21 की पालना किये बिना स्वेच्छा से बंटवारे के आदेश पारित किये है जो विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है । अधी0न्याया0 ने तनकी संख्या 4 को वादी के हक में निर्णित कर गंभीर विधिक त्रुटि कारित की है । विधिनुसार सहखातेदारों के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है । अधी0न्याया0 ने बंटवारे के दावे में बिना प्राथमिक डिक्री जारी किये तथा बिना कुरेजात रिपोर्ट मंगवाये प्रकरण को निर्णित किया है । बहस में आगे कथन किया कि वाद वर्णित आराजियात सजरा व नकल खतौनी बंदोबस्त को देखने से स्पष्ट था कि भूमि कालू खां के वारिसों के नाम विरासत से नहीं आकर विभिन्न व्यक्तियों के नाम कब्जे अनुसार आई है । परन्तु अधी0न्याया0 ने विवादित आराजियात को कालू खां की मानकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करने में विधिक त्रुटि कारित की है । अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलबध दस्तावेजी साक्ष्यों को नजरअदांज कर तथा हाजा न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों की अवहेलना कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो विधिविरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे ।

5. विद्वान वकील रेस्पोडेंटस संख्या 1 लगायत 8 ने बहस में कथन किया कि विद्वान अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है । रेस्पोडेंटस संख्या 1 लगायत 8 एवं अपीलांटस तथा प्रफोर्मा रेस्पो0 एक ही संयुक्त परिवार के सदस्य है । विवादित आराजियात के रेस्पो0 एवं अपीलांटस संयुक्त खातेदार काश्तकार है । विवादित आराजियात में रेस्पो0 संख्या 1 से 8 एवं अपीलांटस अपने पूर्वजों के समय से अपने 1/3 हिस्से अनुसार काबिज काश्त चले आ रहे है । विवादित आराजियात के अतिरिक्त अन्य सहखातेदारी की आराजियात का पर्चा सेटलमें विभाग

द्वारा 1/3, 1/3 हिस्से के अनुसार जारी किया गया था किन्तु वादवर्णित आराजियात बाबत् पर्चा गलत जारी किया गया है जबकि विवादित आराजियात में रेस्पो0 संख्या 1 से 8 का 1/3 हिस्सा है । बहस में आगे कथन किया कि स्व0 पीरखां पुत्र रसूल खां का 1/3 हिस्सा, स्व0 मिश्री खां पुत्र अल्लाबक्श एवं रमजू खां पुत्र दल्ला उर्फ दलेल खां का 1/3 हिस्सा एवं फकीरा पुत्र मीर खां का 1/3 हिस्से अनुसार पर्चा सेटलमेंट जारी होना चाहिये था जबकि मौके पर पक्षकारान इसी अनुसार काबिज काश्त है । विद्वान वकील रेस्पो0 ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि पूर्व में जारी पर्चा सैटलमेंट सन् 1986 में परिवर्तन करने का कानूनन अधिकार भू–प्रबंध विभाग को नहीं था सन् 1986 के पर्चा सेटलमेंट में फकीरा वल्द मीर खां 1/3 हिस्सा, रसूल वल्द निजामुद्दीन हिस्सा 1/3, मिश्री व कल्ला पि0 कालाबक्ष हिस्सा 1/3 दर्ज है था इसके बावजूद नवीन सेटलमेंट में फकीरा वल्द मीर खां हिस्सा 5/14, मिश्री खां वल्द अल्लाबक्ष एव रमजू खां वल्द दल्ला खां का हिस्सा बराबर 6/14, पीर खां वलद रसूल खां हिस्सा 3/14 दर्ज कर दिया गया जो सन् 1986 के सैटलमेंट के विरूद्ध है । विद्वान वकील रेस्पो0 ने बहस में आगे कथन किया कि अधी0न्याया0 ने प्रकरण हाजा न्यायालय से रिमाण्ड से प्राप्त होने पर हाजा न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों की पालना करते हुए तनकियात कायम कर प्रत्येक तनकी पर स्पष्ट विवेचन देते हुए निर्णय पारित किया है । भू–प्रबंध विभाग को पूर्व इंद्राज को परिवर्तन करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है। वादीगण/रेस्पो0 ने वाद में अपनी स्पष्ट की थी जो उन्हें बाहमी बंटवारे में प्राप्त हुई थी । अधी0न्याया0 ने इन्हीं समस्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए वादीगण/रेस्पो0 का वाद डिक्री कर बंटवारे की डिक्री पारित की है जो विधिसम्मत् निर्णय व डिक्री है । वादीगण/रेस्पो0 ने दस्तावेजी साक्ष्यों से अपना वाद साबित किया है । अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । प्रकरण हाजा न्यायालय द्वारा रिमाण्ड किये जाने पर अधी0न्याया0 ने वाद को पुनः वाद संख्या 319/2007 पर दर्ज कर मृतक पक्षकारान के विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लेकर उभयपक्षों को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए पूर्व कायम तनकियात को उभयपक्ष द्वारा उचित बताये जाने पर मौजूद वादीगण व प्रतिवादीगण की मौखिक साक्ष्य व जिरह किये जाने के उपरांत अन्य प्रतिवादीगण के बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध नियमानुसार एकतरफा कार्यवाही अमल में लाते हुए मूल वादपत्र में उभयपक्षो की सुनवाई की जाकर पत्रावली पर मौजूद समस्त साक्ष्यों का समग्र अवलोकन व विश्लेषण तनकीवार करते हुए निर्णय व डिक्री दिनांक 11.6.2012 को पारित की है । अधी0न्याया0 ने तनकी संख्या 1 व 2 पारस्परिक एक दूसरे पर निर्भर होने से एक साथ विवेचित कर यह निर्णित किया है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण 1 लगायत 17 एक ही परिवार के सदस्य होकर मूल पूर्वज कालू खां के वंशज है तथा विवादित आराजियात प्रदर्श पी–11 मिसल हकीयत बंदोबस्ती मौजा नानण संवत् 1988 में फकीरा वलद मीर खां, रसूला वल्द निजामुद्दीन तथा मिश्रा व दल्ला पि0 कालाबक्स 1/3 बहिस्से बराबर खातेदार दर्ज रिकार्ड है किन्तु बाद के बंदोबस्त संवत् 2011–2029 में बंदोबस्त विभाग के अधिकारियों ने न्यायालय के आदेश के बिना उनके हिस्से में परिवर्तन कर दिया जबकि बंदोबस्त विभाग को पूर्व की प्रविष्टियों को परिवर्तन करने का कोई अधिकार नहीं है ।

7. इसी प्रकार अधी0न्याया0 ने तनकी संख्या 3 में विवादित आराजियात को मौके पर पहले से बाहमी तौर पर बंटवारे से विभाजित होना मानते हुए

वादीगण व प्रतिवादीगण को उसी अनुसार काबिज काश्त होना मानते हुए वादीगण के पक्ष में उक्त तनकी निर्णित की है । इसी प्रकार तनकी संख्या 4 में अपने हिस्से के मुताबिक वादीगण को प्रतिवादीगण से स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करना उचित मानकर तनकी निर्णित की है ।

8. तनकी संख्या 5 के विवेचन में अधी0न्याया0 ने घोषणा हेतु वादपत्र प्रस्तुत करने के लिये राज0काश्त0अधि0 1955 में कोई मियाद निर्धारित न होने के कारण वादपत्र को अंदर मियाद शुमार कर यह तनकी वादीगण के पक्ष में निर्णित की है ।

9. अधी0न्याया0 ने मूल वाद पत्र को तनकीवार निर्णित करते हुए दादरसी में मूल वादपत्र को सन् 1987 में प्रस्तुत होने से एवं इसके उपरांत मृतक पक्षकारान के वारिसान को रिकार्ड पर लेकर कुछ खातेदारान द्वारा अपने हिस्से की आराजियात में बैचान करने के पश्चात् उनका हिस्सा कम कर नियमानुसार मूल वाद पत्र में प्राथमिक डिक्री जारी की है ।

10. उपरोक्त समग्र विवेचन से यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उभयपक्षों को सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान करते हुए नियमानुसार तनकीवार निर्णय पारित किया है जिससे न्यायालय हाजा द्वारा पूर्व पारित निर्णय दिनांक 22.11.2007 की अनुपालना होना जाहिर होता है । हस्तगत अपील में अपीलांट ने यह कहीं सिद्ध नहीं किया है कि कौन से निर्देश की अनुपालना अधी0न्याया0 द्वारा नहीं की गई है । अपीलांट का यह कथन भी उचित प्रतीत नही होता है कि अधी0न्याया0 द्वारा आदेश 20 नियम 5 जा0दी0 के प्रावधानों की पालना नहीं की गई हो । इसके अतिरिक्त अपीलांट के इस कथन में भी बल नहीं है कि मूल वाद पत्र का निर्णय दिनांक 15.10.1955 की स्थिति के आधार पर किया जावेगा और मिसल हकीयत संवत् 1988 के दस्तावेज को नहीं देखा जा सकता है जबकि मूल वादपत्र का आधार प्रदर्श पी–11 मिसल हकीयत बंदोबस्ती मौजा नानण संवत् 1988 का दस्तावेज होकर उसके उपरांत के राजस्व अभिलेख में संवत् 2011 से 2029 में बंदोबस्त विभाग द्वारा बिना किसी न्यायिक आदेश के मूल खातेदारान के हिस्सों में परिवर्तन होना बताया है जिसे अधी0न्याया0 ने प्रारंभिक उद्गम राजस्व अभिलेख की स्थिति के आधार पर विवेचित कर कोई त्रुटि कारित नहीं की है । इसके अतिरिक्त अधि0 1955 की धारा 15 के तहत उक्त अधि0 के लागू होने से पहले दर्ज खातेदार की खातेदारी भू–प्रबंधन विभाग को सक्षम न्यायालय के आदेशों के बिना समाप्त करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है । जहां तक अपीलांट का यह कथन कि पंजीकृत विक्रय पत्रों की स्थिति अधी0न्याया0 ने स्पष्ट नहीं की है, वह भी अधी0न्याया0 द्वारा दादरसी में किये गये विवेचन से गलत सिद्ध होती है तथा अधी0न्याया0 ने दादरसी में मूल खातेदारान के वारिसान का हिस्सा खोलते हुए नियमानुसार डिक्री पारित की है तथा अपीलांट ने अपील ज्ञापन में समस्त उज्र सरसरी तरीके से अंकित किये है और उसने यह कहीं स्पष्ट रूप से अंकित नही किया है कि अधी0न्याया0 द्वारा किस प्रकार हिस्से में सारभूत परिवर्तन किया गया है ।

11. अपीलांट के इस कथन में बल प्रतीत होता है कि मूल वाद पत्र घोषणा के साथ–साथ विभाजन का भी था किन्तु अधी0न्याया0 द्वारा बगैर कुरेजात रिपोर्ट प्राप्त किये नियम 18 से 21 की अवज्ञा में सीधे ही मूल वाद पत्र में अंतिम डिक्री पारित कर विवादित आराजियात का नियमानुसार विभाजन नहीं किया है । अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनाक 11.6.2012 में विभाजन के अनुतोष की हद तक आंशिक संशोधन योग्य होकर अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पायी जाती है ।

12. अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, दूदू द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 11.6.2012 को घोषणा के अनुतोष तक यथावत् रखा जाता है तथा प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि वे प्राथमिक डिक्री की अनुपालना में संबंधित तहसीलदार से उभयपक्षों की मौजूदगी में नियम 18 से 21 की अनुपालना में कुरेजात रिपार्ट प्राप्त कर बाद सुनवाई अंतिम डिक्री नियमानुसार पारित करे । अधी0न्याया0 को यह भी निर्देश दिये जाते है कि कुरेजात रिपोर्ट में वादीगण प्रतिवादीगण द्वारा अपने अभिवचनों में दिये गये बंटवारे को ध्यान में रखते हुए शेष बची हुई भूमि को क्रेतागण के मध्य विभाजित की जावे । चूंकि मूल वादपत्र सन् 1987 का है इसलिये यथासंभव 6 माह में वाद का निस्तारण किया जाना सुनिश्चित करे । उभयपक्ष दिनांक 22.10.2019 को अधी0न्याया0 में उपस्थित हो । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

13. निर्णय आज दिनांक 26.9.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर